२०.6.17

पत्रावली कोर्ट कैम्प दरीबा
पर पेश। वाद पत्र के तथ्य इस
प्रकार हैं कि वादी नारायण लाल
का लड़का है। ग्राम दरीबा की आ.नं.
553 रकबा 04 बीघा 05 बिस्वा स्थित
है उसमें प्रतिवादी सं० 2 लगायत 06
का 3/4 हिस्सा व बकाया हिस्सा
वादी व प्रतिवादी सं० 7 व 10 का है।
एवं आ.नं. 1816 रकबा 3 बीघा 12 बिस्वा

मे वादी एवं प्रतिवादी स० 7 +10 का 1/2 हिस्सा बिकी है/ बकाया प्रतिवादी स० 2 लगायत 06 का है

वादी का भाई सीताराम था जिसने प्रतिवादी स० 1 सीताराम के जीवन काल ही प्रतिवादी स० 1 अमरा से शादी कर ली और अन्य जगह रहने लग गई। अतः प्रतिवादी स० 1 का कोई अधिकार नहीं है

अतः सीताराम वादी का सगा भाई है वादी के साथ ही रहता था सीताराम की मृत्यु हुये 6-7 वर्ष हो चुके है सीताराम की पत्नी प्रेम ने दूसरी शादी कर ली और खोडखेड़ा मे अमरा के साथ रहती है। और उस की सन्ताने भी खेडखेड़ा मे रहती है सीताराम की सम्पत्ती पर कोई हक अधिकार नहीं है।

अतः सीताराम की भूमि हिस्से की पर वादी का ही अधिकार है अतः वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया ~~जावे~~ जावे/

पत्रावली व प्रस्तुत शहादत रेकार्ड का अवलोकन किया गया।

आदेश

वादी का वाद पत्र स्वीकार किया जाता है। सीताराम की पत्नी प्रेमू का हिस्सा वादी चाहता है जो ऐसा कोई साक्ष्य पेश नहीं किया गया। अतः वादी का वाद सिद्ध नहीं होने से ~~अस्वीकार~~ खारीज किया जाता है।

स्वतः पारित आज्ञा-अप्ती पढ़न कर निर्णय दिनांक 20.6.2017 को सरे आम सुनाया गया।

पत्रावली बाद तकमील शुमार होकर दाखल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर
फास्ट ट्रेक, भीलवाड़ा

कोर्ट कैम्प दरीबा

पीठासीन अधिकारीः– श्रीमति रेनु मीना आर०ए०एस०

उनवान

1. श्री रामपाल पिता नारायण तेली निवासी दरीबा
वादी

बनाम

1- श्रीमती प्रेम देवी पत्नी अमरा तेली नि० धीडखेड़ा
2 श्री देवीलाल पुत्र बालू —— " ——
3 " मेघराज पुत्र —— " ——
4 " रुपलाल पिता —— " ——
5 श्रीमती सोहन पुत्री —— " ——
6 " पारस्ती पुत्री —— " ——
7 " कंवर लाल पुत्र डालचंद तेली नि० दरीबा
8. " भूरालाल पुत्र —— " ——
9. " मूलचन्द पुत्र —— " ——
10 श्रीमती बरजी बेवा —— " ——
11 तहसीलदार भीलवाड़ा
12 उप पंजीयक, भीलवाड़ा

दावा बाबत– इन्द्राज दुरुस्ती
मुकदमा नम्बर :– 152/12
निर्णय दिनांक :– 20.6.17

वादी की ओर से .... की व प्रतिवादी की ओर से.......—........ उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 20.6.17 को (नाम पीठासीन अधिकारी श्रीमती रेणु मीना) के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि:–

वादी का वाद सिद्ध नहीं होने से खारिज किया जाता है

खर्चा फरीकेन अपना–अपना वहन करेंगें।

यह आज तारीख 20.6.17 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।